रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

AD (OL) / JT

(13) (34)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2015/आषाढ़ 31, 1937
No. 461] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2015/ASHADHA 31, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

(दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नोएडा, 20 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 574(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पोत परिवहन विभाग), दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, हिन्दी अधिकारी, समूह "ख" पद, भर्ती नियम, 2008 और दीपस्तंभ एवं दीपपोत महानिदेशालय कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय भर्ती नियम, 2006 को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया जाना है, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में सहायक निदेशक (रा.भा.) और कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, सहायक निदेशक (रा.भा.) समूह "क" पद और कनिष्ठ अनुवादक, समूह "ख" पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** .– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उनसे संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** .– भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** .– वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

कथित पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :– जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति** :– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु – सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु – सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों हेतु लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
सहायक निदेशक (रा.भा.)	01 (2015)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 3, 15600 – 39100 रूपए और ग्रेड वेतन 5400 रूपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति वेतन बैंड 2, 9300–34800 रू + ग्रेड वेतन 4200 रू में ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1.**– जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब, जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो। **टिप्पण 2.**– प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड –2, ग्रेड वेतन 4600 रू में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है, या	समूह 'क', विभागीय प्रोन्नति समिति (जो प्रोन्नति एवं पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– (1) अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (पोत परिवहन), पोत परिवहन मंत्रालय – सदस्य (3) महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत – सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(11)		
(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड –2, ग्रेड वेतन 4200 रू मे नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है :– **आवश्यक :–** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी एक विषय हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी एक विषय हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी परीक्षा के माध्यम के रूप में और अनिवार्य अथवा वैकल्पिक अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी एक विषय हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी परीक्षा के माध्यम के रूप में और अनिवार्य अथवा वैकल्पिक अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी एक विषय हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक अथवा दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय हो ; (ii) केन्द्र / राज्य सरकार / स्वायत निकाय /कानूनी संगठन / पब्लिक सेक्टर के उपकम / विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थान में हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली (पारिभाषिक कार्य) के व्यवहार/ कार्य का और हिन्दी से अंग्रेजी अथवा हिन्दी से अंग्रेजी, अधिमानतः तकनीकी अथवा वैज्ञानिक साहित्य में तीन वर्ष के अनुवाद का अनुभव है। या केन्द्र / राज्य सरकार / स्वायत निकाय /कानूनी संगठन / पब्लिक सेक्टर के उपकम / विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थान में हिन्दी और अंग्रेजी में पढ़ाने का अथवा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष के अनुवाद का अनुभव है। **टिप्पण 1.**– पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.**–प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.**–प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित), द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु– सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4.**– प्रतिनियुक्ति के अधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व – पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **वांछनीय :** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं के स्तर तक संविधान के 08वें अनुच्छेद में सम्मिलित हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का अध्ययन किया हो।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कनिष्ठ अनुवादक	08 (2015)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड – 2, 9300 – 34800 रूपए और ग्रेड वेतन 4200 रूपए	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय– समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक छूट की जा सकती है)। **टिप्पण 1.**– आयु – सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (सिवाय असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू– कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई अंतिम तारीख है)।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी एक विषय हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी एक विषय हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी परीक्षा के माध्यम के रूप में और अनिवार्य अथवा वैकल्पिक अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी एक विषय हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी परीक्षा के माध्यम के रूप में और अनिवार्य अथवा वैकल्पिक अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी एक विषय हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक अथवा दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय हो ; और हिन्दी से अंग्रेजी अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद के पाठ्यक्रम का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार कार्यालय सहित भारत सरकार के उपक्रम में भी हिन्दी से अंग्रेजी अथवा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण (1).**–अर्हताओं पर छूट कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार है, अन्यथा उम्मीदवारों के सुयोग्य होने की परिस्थिति में छूट दी जा सकती है। **टिप्पण (2).**–अनुभव संबंधी अर्हताओं पर छूट कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के विषय में तब छूट की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	समूह 'ख', विभागीय प्रोन्नति समिति (जो पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– (1) महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत – अध्यक्ष (2) उप महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत – सदस्य (3) प्रशासन अधिकारी, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 9/3/2013– प्रशा.–I]

कैप्टन ए. एम. सूरज, महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत

MINISTRY OF SHIPPING

(Directorate General of Lighthouses and Lightships)

NOTIFICATION

Noida, the 20th July, 2015

G.S.R. 574(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Shipping), Directorate General of Lighthouses and Lightships, Hindi Officer, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2008, and the Directorate General of Lighthouses and Lightships (Junior Hindi Translator, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministrial post) Recruitment Rules, 2006, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (OL) and Junior Translator in the Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely:—

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Assistant Director (OL), Group 'A' Post and Junior Translator, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.-** The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with the Union Public Service Commission, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

3173 GI/15-2

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay.	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.	ucational and other qualificatios required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.Assistant Director (OL).	1* (2015) *Subject to variation depended on workload.	General Central Services Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3, Rs. 15600-39100 with Grade pay of Rs.5400.	Selection	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Junior Translator in the pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus grade of Rs. 4200 with eight years regular service in the grade. **Note 1.**- Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying eligibility service. **Note 2.**- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :- (1) Chairman/Member UPSC- Chairperson; (2) Joint Secretary (Shipping), Ministry of Shipping- Member; (3) Director General, Directorate General of Lighthouses and Lightships - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

(11)

Deputation:

Officers of the Central Government:

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre; or

(ii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2 plus grade pay of Rs. 4600

Or

(iii) with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2 plus grade pay of Rs. 4200 equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:-

Essential:

(i) Master's Degree of recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

Or

Master's Degree of recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

Or

Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

Or

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level;

Or

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and other as a compulsory or elective subjects at the Degree level;

(ii) three years' experience of using/applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central/State Governments/Autonomous Body/Statutory Organisations/PSUs/Universities or recognized research or educational institutions.

Or

Three years, experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central/State Governments/Autonomous Body/Statutory Organizations/ PSUs/ Universities or recognized research or educational institutions.

Note 1.- The Departmental officers in the feeder category who are in the Direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for

3173 GI/15-3

	(11)		
	appointment by promotion. **Note 2.**- The Period of Deputation including period of deputation (short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.**- The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		
	Note 4.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger or more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation. **Desirable:** Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th schedule of the Constitution at 10th level from a recognized Board.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Junior Translator	8* (2015) *Subject to variation depended on workload	General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with Grade pay of Rs. 4200.	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note**-The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,	Master's Degree of recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. Or Master's Degree of recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; Or Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; Or

					(6)	(7)
					Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Silkkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti Division of Chamba District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; Or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and other as a compulsory or elective subjects at the Degree level. and Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in the Central Government or the State Government office, including Government of India Undertaking. **Note (1).**- Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in case of a candidate otherwise well qualified. **Note (2).**-Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in case of candidate belonging to Schedule Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of

						the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	Direct Recruitment.	Not applicable.	Group "B" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director General of Lighthouses and Lightships - Chairperson; (2) Deputy Director General, Directorate General of Lighthouses and Lightships-Member; (3) Administrative Officer, Directorate General of Lighthouses and Lightships-Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 9/3/2013-Admn-I]

CAPT. A. M. SUREJ, Director General of Light Houses and Lightships

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.